राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

अति आवश्यक

क्रमांक एफ 70( )ग्रावि/नरेगा/प्रशि./मु.ज.स्वा.अभि./2015–16 जयपुर, दिनांक

21 MAR 2016

1. **संभागीय आयुक्त, जयपुर।**
2. **जिला कलेक्टर,**
   जिला जयपुर,दौसा,झुन्झुनु,सीकर,अलवर।

विषय– मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की क्रियान्विती के क्रम में।
सन्दर्भ– विभागीय आदेश क्रमांक एफ.21(03) आजभूस/मुमजस्वाअ/2016/8329 –8413 दिनांक 10.03.2016 के क्रम में।

महोदय

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की समयबद्ध क्रियान्विती,गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादन, योजना क्रियान्विती के सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन एवं कठिनाईयों आदि के निराकरण हेतु अद्योहस्ताक्षरकर्ता को जयपुर सम्भाग का प्रभारी बनाया गया है। आपके सम्भाग/ जिले में संचालित मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की गतिविधियों की निरन्तर समीक्षा की जानी हैं।

जिले की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रति सोमवार को आवश्यक रुप से जरिये ईमेल **semgnrega@gmail.com** पर भिजवाने का कष्ट करें।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न गतिविधियों पर समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें –

1. प्रथम चरण के चयनित गांव की डीपीआर अनुसार समस्त कार्यो की वित्तीय स्वीकृति **31 मार्च 2016** तक जारी करना।
2. स्वीकृत कार्यों हेतु निविदा निर्धारण कर कार्यादेश जारी करना।
3. प्रथम चरण के कार्य **30 जून 2016** पूर्ण कराये जाने हैं। डी.पी.आर. अनुसार इन कार्यों को कब तक, किस–किस प्रकार सम्पादित कराया जाना हैं, के सम्बन्ध में रोडमैप (कार्य योजना) तैयार कर भिजवाना।
4. डीपीआर में शामिल समस्त कार्यों की Geo Tagging **31 मार्च 2016** तक पूर्ण करवाना।
5. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के लिए पृथक से वेवसाईट (www.water.rajasthan.gov.in) बनाई गई है। इस वेवसाईट पर समस्त सूचनाऐं अपलोड की जानी हैं। जिसमें **प्रपत्र 18 ए तथा 18 बी**, प्रगति रिपोर्ट आदि नियमित अपलोड कराया जाना।
6. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की वेवसाईट के माध्यम से ही समस्त स्वीकृतियां ऑनलाईन जारी की जानी हैं, जो स्वीकृतियां पूर्व में जारी की गई हैं, उन्हें **31 मार्च 2016** तक आवश्यक रुप से अपलोड कराना।
7. अभियान की डी.पी.आर. अनुसार उपलब्ध राशि के अतिरिक्त आवश्यक राशि जन सहयोग, श्रमदान, दानदाताओं, उपकरण/मशीन आदि की व्यवस्था करना।